"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त 2017—श्रावण 13, शक 1939

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2017

क्रमांक ई 1-01/2017/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, भा.प्र.से. (2014), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड, जिला-बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 20-87/2012/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-12-2012 द्वारा जारी "कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012" में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 9.4 (4) के वर्तमान पैरा को निम्नलिखित पैरा से प्रतिस्थापित किया जाये अर्थात् :—

9.4 (4) — "कृषि एवं खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण इकाईयों को राज्य की मंडियों/सीधे उत्पादनकर्ता कृषक/इकाई/राज्य के बाहर से सर्वप्रथम कच्चा माल क्रय करने के दिनांक से पांच वर्ष तक के लिए कृषि उत्पादों (परिशिष्ट एक में वर्णित अपात्र उद्योगों को छोड़कर) पर लगने वाले मंडी शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की जावेगी, छूट की अधिकतम सीमा प्रसंस्करण इकाई द्वारा किये गए स्थायी पूंजी निवेश के 75 प्रतिशत के बराबर होगी."

ये संशोधन दिनांक 01-11-2012 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष कुमार भट्ट, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 20-70/2004/11/(6).—चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20-2/2002/छ:/11 दिनांक 07-01-2003 द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002" में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त भण्डार क्रय नियम में,—

(एक) नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त:स्थापित किया जाये :—

(अ) "परंतु परिशिष्ट-1 में अंकित वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी (DGS&D) की जेम वेबसाईट (Gem Web-Site) में उपलब्ध हो, हेतु छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) द्वारा नया रेट कॉन्ट्रेक्ट (Rate Contract) नहीं किया जायेगा."

(ब) "परंतु शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों, जिला एवं जनपद पंचायतों तथा नगरीय निकायों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी सामग्री के क्रय संबंधित नीति, नियम एवं प्रक्रिया तथा आवश्यक होने पर दर निर्धारण का कार्य इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जायेगा. इस हेतु सामग्री की सूची का निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जा कर भण्डार क्रय नियम, 2002 का परिशिष्ट-3 जारी किया जायेगा."

(दो) नियम 4.3.1 की अंतिम पंक्ति में रुपये "5000" को रुपये "10,000" (रुपये दस हजार) से प्रतिस्थापित किया जाए.

(तीन) नियम 4.3.2 की द्वितीय पंक्ति में रुपये "5001" से 50,000" को रुपये "10,001 से 1,00,000 (रुपये दस हजार एक से रुपये एक लाख) से प्रतिस्थापित किया जाए.

(चार) नियम 4.3.2 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएं :—

"परंतु, वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय क्रेता विभाग आवश्यकतानुसार जेम वेबसाईट (Gem Web-Site) से उक्त सामग्री सीधे क्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे क्रय के लिये क्रेता विभाग जेम वेबसाईट में संबंधित सामग्री के तकनीकी स्पेसिफिकेशन (Technical Specification) का परीक्षण, विक्रेता की साख एवं एल 1 मूल्य का निर्धारण स्वयं करेगा."

(पांच) नियम 4.3.3 में जहां निविदा का अनुमानित मूल्य कॉलम में उल्लेखित "रुपये 50,001 से 2.00 लाख" को "रुपये 1,00,001 से 2.00 लाख" (रुपये एक लाख एक से रुपये दो लाख) से प्रतिस्थापित किया जाये.

(छ:) नियम 4.3.3 के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएं :—

"परंतु, वे वस्तुयें जिनकी दर एवं विशिष्टियां भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हो, का क्रय उक्त खुली निविदा पद्धति या जेम पर उपलब्ध ई-बिडिंग (E-bidding) अथवा रिवर्स आक्शन (Reverse auction) प्रक्रिया से आवश्यकता अनुसार क्रय कर सकेगा.

(सात) नियम 13.2 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 13.3 अंत:स्थापित किया जाये :—

13.3 भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 33 (3)/2013-IPHW दिनांक 23 दिसम्बर, 2013 एवं इस हेतु जारी दिशा निर्देश दिनांक 16 नवम्बर, 2015 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के क्रय में आरक्षण प्रतिशत, निर्माण में स्थानीय इकाई में निर्मित घटक (देशीकरण) का प्रतिशत तय करते हुए नियम तथा प्रक्रिया बनाने का कार्य एवं यदि आवश्यक हो तो दर निर्धारण का कार्य इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जावेगा.

उक्त संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 20-23/2016/11/(6).—औद्योगिक नीति 2014-19 में औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक प्रोत्साहन के अंतर्गत अधिसूचित "प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान योजना" को दिनांक 01 नवंबर, 2014 से क्रियान्वित करने हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ राज्य प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान नियम 2014" निम्नानुसार लागू करता है :—

1. **परिचय :—** राज्य के उद्योगों में उच्च तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति 2014-19 में प्रौद्योगिक क्रय अनुदान योजना का प्रावधान है. इस योजना के अंतर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय करने पर अनुदान दिया जायेगा. इस योजना के अंतर्गत संतृप्त/अपात्र उद्योगों को छोड़कर अन्य पात्र नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट्स व अल्ट्रा प्रोजेक्ट्स के उद्योगों को अनुदान की पात्रता होगी.

2. **परिभाषाएं :—** इस योजना के अन्तर्गत नवीन उद्योग, विद्यमान उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट्स, अल्टा मेगा प्रोजेक्ट्स, वाणिज्यक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, सामान्य वर्ग, अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक के साथ परियोजनाएं प्रारंभ करने वाले निवेशक/निर्यातक उद्योग तथा विदेशी तकनीक महिला उद्यमी/सेवानिवृत्त सैनिक/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमी, नि:शक्त महिला उद्यमी, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार "कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारी तथा राज्य के मूल निवासी एवं इस अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अन्य परिभाषाएं, वही होगी जो औद्योगिक नीति 2014-19 के "परिशिष्ट-1" पर दी गयी है.